श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश

518, न्यू मोती बंगला, एम.जी. रोड़, इंदौर–452 007

दूरभाष : 0731-2432822 फैक्स : 0731-2536600

ई–मेल : commlab@nic.in वेबसाईट : http://labour.mp.gov.in

परिपत्र

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेश के निम्न 28 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के उप चुनाव हेतु निर्वाचन कार्यक्रम 2020 जारी किया गया है। जिसके अनुसार दिनांक 3.11.2020 (मंगलवार) को मतदान होगाः–

क्र.	विधानसभा क्षेत्र क्रमांक एवं नाम	जिला
1.	4–जौरा	मुरैना
2.	5–सुमावली	मुरैना
3.	6–मुरैना	मुरैना
4.	7–दिमनी	मुरैना
5.	8–अम्बाह,	मुरैना
6.	12–मेहगांव	भिण्ड
7.	13–गोहद,	भिण्ड
8.	15–ग्वालियर,	ग्वालियर
9.	16–ग्वालियर (पूर्व)	ग्वालियर
10.	19–डबरा	ग्वालियर
11.	21–भाण्डेर,	दतिया,
12.	23–करेरा	शिवपुरी
13.	24–पोहरी	शिवपुरी
14.	28–बमोरी	गुना
15.	32–अशोकनगर	अशोकनगर
16.	34–मुंगावली	अशोकनगर
17.	37 सुरखी	सागर
18.	53–मलहरा	छतरपुर
19.	87–अनूपपुर	अनूपपुर
20.	142–सांची	रायसेन
21.	161–ब्यावरा	राजगढ़
22.	166–आगर	आगर मालवा
23.	172–हाट पीपल्या	देवास
24.	175–मानधाता	खंडवा
25.	179–नेपानगर	बुरहानपुर
26.	202–बदनावर	धार
27.	211– सांवेर	इंदौर
28.	226–सुवासरा	मंदसौर

2. उक्त निर्वाचन क्षेत्रों के संस्थानों कार्यरत कामगारों को निर्वाचन में मताधिकार का उपयोग करने की सुविधा देने की दृष्टि से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय मध्यप्रदेश द्वारा जारी पत्र क्रमांक 84 (2)/2020/चार/उप चुनाव/5603 दिनांक 29.9.2020 का अवलोकन किया जाये। जिसकी प्रति संलग्न है।

3. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135–बी के प्रावधानों का परिपालन सुनिश्चित करने के निर्देश है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135–बी के प्रावधान निम्नानुसार हैः–

8/10/2020

02..

''**135 बी. मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश की मंजूरी – (1)** किसी कारबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किए जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी और यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यतया किसी ऐसे दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो इस बात के होते हुए भी, उसे ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी संदत की जाएगी, जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर न किए जाने की दशा में दी गयी होती।

(3) यदि कोई नियोजक उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, तो ऐसा नियोजक जुर्माने से, जो पांच सौ रूपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(4) यह धारा किसी ऐसे निर्वाचक को लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के संबंध में जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या सारवान् हानि हो सकी है। ''

4. अतः उक्त उल्लेखित निर्वाचन क्षेत्रों में आने वाले समस्त कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक स्थापना अथवा अन्य किसी स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को मतदान के लिए सुविधा देने की दृष्टि से इनके नियोजकों, अधिभोगीगणों, प्रबंधकों को निर्देशित किया जाता है कि वे उपर्युक्त प्रावधान का परिपालन अनिवार्यतः सुनिश्चित करें।

संलग्न–उक्तानुसार

8/10/2020
(आशुतोष अवस्थी)
श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इन्दौर

क्रमांक / /तीन/2020/38104-58, इन्दौर, दिनांक 8-10-2020

प्रतिलिपि–

1. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, निर्वाचन सदन, 17 अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर पत्र कमांक 84 (2)/2020/चार/उप चुनाव/5603 दिनांक 29.9.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर पृष्ठांकन कमांक 2289 दिनांक 29.09.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ।
5. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश, जनसम्पर्क भवन, भोपाल की ओर अतिरिक्त प्रति सहित। कृपया प्रदेश के सभी स्थानीय तथा राज्य स्तरीय समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पर्याप्त प्रचार–प्रसार के लिए प्रकाशन हेतु प्रेषित।
6. संभागीय आयुक्त, चंबल, ग्वालियर, सागर, शहडोल, भोपाल, उज्जैन, इन्दौर संभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. जिलाध्यक्ष एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, मुरैना, भिण्ड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, सागर, छतरपुर, अनूपपुर, रायसेन, राजगढ, आगर मालवा, देवास, खण्डवा, बुरहानपुर, धार, इंदौर, मंदसौर की ओर सूचनार्थ एवं परिपालन सुनिश्चित करने हेतु।
8. संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्दौर की ओर तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क, इंदौर की ओर समस्त मीडिया में प्रकाशनार्थ।
10. सहायक श्रम आयुक्त/श्रम पदाधिकारी, चंबल, ग्वालियर, सागर, शहडोल, भोपाल, उज्जैन, इन्दौर भिण्ड, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, छतरपुर, अनूपपुर, रायसेन (मण्डीदीप), राजगढ, आगर मालवा, देवास, खण्डवा, बुरहानपुर, धार, मंदसौर की ओर तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु।

8/10/2020
श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इंदौर

उप चुनाव / तत्काल

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश निर्वाचन सदन
17, अरेरा हिल्स, भोपाल
दूरभाष– 2550488, 2550446, 2553305, 2551282, फैक्स– 0755– 2555162
E-Mail : ceo_madhyapradesh@.nic.in, chiefelectoralofficermp@gmail.com
Website: ceomadhyapradesh.nic.in

726/2020/B
30/09/2020

फा. क्र. 84 (2)/2020/चार/उप. चुनाव/5603 भोपाल, दिनांक 29/09/2020

प्रति,

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
श्रम विभाग,
भोपाल

कार्यालय श्रमायुक्त
म.प्र., इन्दौर
30 SEP 2020

विषय: 28 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उप चुनाव––मतदान के दिन अवकाश घोषित करने हेतु ।

संदर्भ : भारत निर्वाचन आयोग का प्रेस नोट क्र. ECI/PN/ 67/2020 दिनांक 29.09.2020

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 28 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के रिक्त स्थान को भरने के लिए उप चुनाव सम्पन्न कराने हेतु कार्यक्रम प्रसारित किया जा चुका है । प्रेस विज्ञप्ति की प्रति संलग्न है ।

अतः **मुरैना, भिण्ड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, सागर, अनूपपुर, रायसेन, आगर–मालवा, देवास, धार, इन्दौर, मंदसौर, छतरपुर, बुरहानपुर, खण्डवा एवं राजगढ़** के रिक्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले समस्त मतदान केन्द्रों में कारखाना अधिनियम 1848 के अंतर्गत आने वाले कारखानों में कार्यरत कामगारों को मताधिकार का उपयोग करने की सुविधा देने हेतु कारखाना प्रबंधकों को मतदान के दिनांक 03.11.2020 को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु कृपया निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

कृपया आपके द्वारा जारी निर्देशों की एक प्रति इस कार्यालय को भी पृष्ठांकित करने का कष्ट करें।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

(अरुण कुमार तोमर)
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
मध्य प्रदेश

औ. स्वा.
III
30/9/20

29-9-20

A.S.O.
29-9-20

क्र. 84 (2)/2020/चार/उप चुनाव/5604 भोपाल, दिनांक 29/09/2020

प्रतिलिपिः–

1. संभागीय आयुक्त इन्दौर, उज्जैन, सागर, चम्बल, ग्वालियर, भोपाल एवं शहडोल संभाग को सूचनार्थ अग्रेषित ।

2. श्रमायुक्त इन्दौर (म0प्र0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

3. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मुरैना, भिण्ड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, सागर, अनूपपुर, रायसेन, आगर–मालवा, देवांस, धार, इन्दौर, मंदसौर, छतरपुर, बुरहानपुर, खण्डवा एवं राजगढ़ को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(अरूण कुमार तोमर)
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
मध्य प्रदेश